रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234814
CG-DL-E-04042022-234814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
No. 243]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

सा.का. नि. 255(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)" "उपाबंध" में, के अधीन,-

(क) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 101" में,-

(i) अनुच्छेद 39कच के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"39कछ. *इंड एएस, (2021), में वार्षिक सुधार,* अनुच्छेद घ1(च) को संशोधित किया गया है और अनुच्छेद घ13**क** को जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को **1** अप्रैल 2022 को या इसके पश्चात् आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों से लागू करेगा।";

(ii) परिशिष्ट 'घ' में, अनुच्छेद घ1 में, उपमद (च) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(च) संचयी रूपान्तरण अन्तर (अनुच्छेद घ12-घ13क)";

(iii) परिशिष्ट घ में, अनुच्छेद घ13 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"घ13क अनुच्छेद घ12 या अनुच्छेद घ13 के प्रयोग की बजाय, एक अनुषंगी प्रतिष्ठान जो अनुच्छेद घ16(क) में दिए गए छूट का प्रयोग करता है, अपने वित्तीय विवरणों में, मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित होने वाली सभी विदेशी परिचालनों के संचित रूपान्तरण अन्तरों को मूल प्रतिष्ठान के भारतीय लेखा मानकों पर संक्रमण तिथि के आधार पर माप करने के लिए चयन कर सकता है, बशर्ते मूल प्रतिष्ठान द्वारा अनुषंगी प्रतिष्ठान का अधिग्रहण करते समय समेकन प्रक्रिया और व्यवसायिक संयोजन की राशियों में किसी प्रकार का कोई संयोजन नहीं किया गया है। एक सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम यदि अनुच्छेद घ16(क) में दी गई छूट का प्रयोग करता है तो उसे भी इस प्रकार का निर्वाचन उपलब्ध है।"

(ख) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 103" में-

(i) अनुच्छेद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"11 अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता की अर्हता हेतु अधिग्रहीत की गई पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण किए गए दायित्वों को अधिग्रहण तिथि पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति (संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति*) में दी गयी आस्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक अधिग्रहणिति की गतिविधियों से हटने की योजना को लागू करने के लिए अधिग्रहणकर्ता लागतों को भविष्य में खर्च करने की आशा तो करता है लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है या वह अधिग्रहणिति के कर्मचारियों की सेवाओं के समापन या पुनर्स्थापन को अधिग्रहण तिथि पर दायित्व नहीं मानेगा। अत:अधिग्रहणकर्ता उन लागतों को अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता नहीं देता। बल्कि, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार इन लागतों को संयोजन के पश्चात् वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है।";

(ii) अनुच्छेद 14 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"14 अनुच्छेद ख31-ख40 अमूर्त आस्तियों की मान्यता पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 21क-28ख पहचान योग्य आस्तियों और दायित्वों के प्रकार विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें वे मदें भी सम्मिलित है जिनके लिए यह भारतीय लेखा मानक सिद्धांत व शर्तों की मान्यता हेतु सीमित अपवाद प्रदान करता है।";

(iii) अनुच्छेद 21 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"21 यह भारतीय लेखा मानक अपने मान्यता और माप के सिद्धान्तों के सीमित अपवाद प्रदान करता है। अनुच्छेद 21क-31क दोनों ही विशिष्ट मदों, को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनके लिए अपवाद हैं और उन अपवादों की प्रकृति क्या है। अधिग्रहणकर्ता अनुच्छेद 21क-31क में वर्णित अपेक्षाओं को लागू करते हुए उनका लेखा करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मदें इस प्रकार होंगी:

(क) या तो अनुच्छेद 11 और 12 में दी गयी शर्तों के अतिरिक्त मान्यता शर्तों को लागू करते हुए, या फिर, अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग करते हुए मान्यता दी जाएगी, जो मान्यता सिद्धान्त या शर्तों के लागू करने से भिन्न परिणाम देता है।

(ख) उनकी अधिग्रहण-तिथि के उचित मूल्यों से भिन्न राशि पर मापी गयी।

मान्यता सिद्धान्त के अपवाद.-

भारतीय लेखा मानक 37 अथवा भारतीय लेखा मानक 37 के परिशिष्ट ग, *उदग्रहण (लेवी)* के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दायित्व और आकस्मिक दायित्व

21क अनुच्छेद-21ख भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां* या भारतीय लेखा मानक 37 के परिशिष्ट ग, *उदग्रहण (लेवी),* के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत होंगी यदि वे व्यावसायिक संयोजन द्वारा ग्रहण न होकर अलग से उपगत दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों पर लागू होगा।

21ख *संकल्पनात्मक कार्यपद्धति* 'भूतकाल की घटनाओं के फलस्वरूप, एक आर्थिक संसाधन को अन्तरण करने का एक प्रतिष्ठान का वर्तमान दायित्व' को परिभाषित करती है। भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अधीन किसी उपबंध या आकस्मिक दायित्व के लिए, अधिग्रहणकर्त्ता भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेदों 15-22 का प्रयोग अधिग्रहण की तिथि को भूतकाल की घटनाओं के फलस्वरूप एक वर्तमान बाध्यता मौजूद है या नहीं, निश्चित करने के लिए करेगा। भारतीय लेखा मानक 37 के परिशिष्ट-ग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उदग्रहण (लेवी) के मामले में अधिग्रहणकर्ता, अधिग्रहणकर्त्ता भारतीय लेखा मानक 37 के परिशिष्ट 'ग' का प्रयोग अधिग्रहण तिथि तक उदग्रहण (लेवी) संदत्त करने के दायित्व को उत्पन्न करने वाली बाध्यकारी घटना को निश्चित करने के लिए करेगा।";

21ग अनुच्छेद 21ख के अनुसरण में अभिज्ञात की गई वर्तमान बाध्यता अनुच्छेद 22(ख) में निर्धारित आकस्मिक दायित्व की परिभाषा को पूरा कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो उस आकस्मिक दायित्व पर अनुच्छेद 23 लागू होगा।";

(iv) अनुच्छेद 22 से संबंधित शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां"

(v) अनुच्छेद 22 में, प्रारंभिक अनुच्छेद, जो भारतीय लेखा मानक 37 से शुरू होता हैं और परिभाषित करता है पर समाप्त होता है, के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"22 भारतीय लेखा मानक 37, आकस्मिक दायित्व को इस प्रकार परिभाषित करता है:";

(vi) अनुच्छेद 23 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"23 अधिग्रहणकर्त्ता अधिग्रहण तिथि पर एक व्यावसायिक संयोजन में ग्रहण किए गए आकस्मिक दायित्व जो भूतकाल की घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान बाध्यता है और जिसकी विश्वसनीयता पर उचित मूल्य लगाया जा सकता है, को मान्यता देगा। अत:, भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 14(ख), 23, 27, 29 एवं 30 के प्रतिकूल, अधिग्रहणकर्त्ता आर्थिक लाभों के साथ सन्निहित संसाधनों का बहिर्प्रवाह बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित न होते हुए भी अधिग्रहण तिथि पर ग्रहण किए गए आकस्मिक

दायित्व को मान्यता देगा। इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 56 आकस्मिक दायित्वों के उत्तरवर्ती लेखा पर दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।";

(vii) अनुच्छेद 23 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"23क भारतीय लेखा मानक 37 एक आकस्मिक आस्ति को भूतकाल की घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित आस्ति जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं जो प्रतिष्ठान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है के होने या न होने से होगी के रूप में परिभाषित करता है अधिग्रहणकर्त्ता किसी आकस्मिक आस्ति को अधिग्रहण तिथि पर मान्यता नहीं देगा।";

(viii) अनुच्छेद 64त के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"64थ संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भ में अनुच्छेद 11, 14, 21, 22 व 23 संशोधित किए गए हैं और अनुच्छेद 21क, 21ख, 21ग, व 23क जोड़े गए हैं। कोई प्रतिष्ठान इन संशोधनों को उन व्यावसायिक संयोजनों पर लागू करेगा जिनकी अधिग्रहण तिथि, प्रथम वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल, 2022 **को** या इसके बाद आरंभ होती है।"।

(ग) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 109" में,-

(i) अनुच्छेद 7.1.9 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7.1.9 *भारतीय लेखा मानकों में वार्षिक सुधार (2021)* द्वारा अनुच्छेद 7.2.35 व ख3.3.6क जोड़े गए हैं और अनुच्छेद ख3.3.6 को संशोधित किया गया है। कोई प्रतिष्ठान इन संशोधन को 1 अप्रैल, 2022 से या इसके बाद से आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगा।";

(ii) "7.2.35 – 7.2.42 [परिशिष्ट 1 देखें]," अंकों, कोष्ठकों एवं शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भारतीय लेखा मानकों में वार्षिक सुधार (2021) के लिए संक्रमण

"7.2.35 कोई प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों में वार्षिक सुधार (2021) को प्रतिष्ठान द्वारा संशोधन को प्रथम बार लागू करने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ होने पर या उसके पश्चात् संशोधित अथवा विनियमित किए गए वित्तीय दायित्वों पर लागू करेगा।

7.2.36-7.2.42 [*परिशिष्ट 1 देखें*]";

(iii) परिशिष्ट ख में,-

(क) अनुच्छेद ख3.3.6 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"ख 3.3.6 अनुच्छेद 3.3.2 के प्रयोजन के लिए, शर्तें अधिकांशतया भिन्न होती है यदि नई शर्तों के अन्तर्गत नकदी प्रवाह का बट्टागत वर्तमान मूल्य, मूल प्रभावी ब्याज दर का प्रयोग करते हुए प्राप्त और बट्टागत शुल्क धारक शुद्ध प्रदत्त किसी भी शुल्क सहित, मूल वित्तीय दायित्व के शेष नकदी प्रवाहों के बट्टागत वर्तमान मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत भिन्न है। संदित्त किए गए शुल्क में से प्राप्त शुल्क घटाकर जो शुल्क शेष रहता है उसके निर्धारण के लिए एक उधारकर्त्ता, केवल ऋणदाता व उधारकर्ता के बीच दिए गए या प्राप्त किए गए शुल्क को ही सम्मिलित करेगा और इसमें उधारकर्त्ता या ऋणदाता द्वारा किसी अन्य की ओर से संदाय या प्राप्त शुल्क भी सम्मिलित है।";

(ख) अनुच्छेद ख3.3.6 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख3.3.6क यदि ऋण लिखतों के विनिमय अथवा शर्तों में उपांतरण को समापन के रूप में हिसाब में लिया जाता है तो कोई भी लागतों अथवा संदित्त शुल्कों को समापन पर लाभ या हानि के भाग के रूप में मान्यता दी जाएगी। लेकिन यदि विनिमय या उपांतरण को समापन के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यय की गयी लागतें या संदित्त शुल्क दायित्व की अग्रणीत राशि में समायोजित होगी और उपांतरित दायित्व की शेष अवधि के दौरान परिशोधित होगी।"

(घ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 16" में,-

(i) अनुच्छेद 17 के उपमद (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ङ) क्या आस्ति ठीक से कार्य कर रही है, इसकी परीक्षण जांच करवाने की लागतें जिनमें स्थल पर आस्ति को लाने और कार्य योग्य बनाने के समय जो उत्पादन किया गया है उसकी बिक्री को घटाया जाएगा [जैसेकि परीक्षण के दौरान हुआ नमूना (सैम्पल) का उत्पदन]। परीक्षण जांच की लागत से उत्पादन के मदों की बिक्री के आधिक्य को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत से घटाकर, सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मद की लागत का भाग समझा जाएगा।";

(ii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 7 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8. मई, 2020 में, आई.ए.एस.बी द्वारा आई.ए.एस 16 में संशोधन जारी किए गए जो वांछित प्रयोग में लाने से पहले की बिक्री पर प्रतिष्ठान को संपत्ति, संयत्र व उपस्कर की एक मद की लागत से एक आस्ति को विशेष स्थल तक लाने या प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन योग्य बनाने हेतु मदों की बिक्री का घटक करना निषेध करते है। इस संशोधन द्वारा आईएएस 16 के अनुच्छेद 20क, 74क, 80घ व 81ढ़ जोड़े गए हैं तथा अनुच्छेद 17(ङ) व 74 संशोधित किए गए हैं। यह संशोधन भारतीय लेखा मानक 16 में नहीं किए गए हैं, तथापि, अनुच्छेद 17(ङ) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि परीक्षण जांच की लागत से उत्पादन के मदों की बिक्री के आधिक्य को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत से घटाकर, सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मद की लागत का भाग समझा जाएगा।"

(ङ) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 37" में:-

(i) अनुच्छेद 68 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"68क एक अनुबंध की पूर्ति (निष्पादन) की लागत में अनुबंध से सीधे संबंधित लागत होती हैं। इनमें निम्नलिखित दोनों लागतें होती हैं:-

(क) अनुबंध की पूर्ति की वृद्धिशील लागतें जैसेकि, प्रत्यक्ष श्रम व सामग्रियां; और

(ख) अनुबंधों की पूर्ति से सीधे संबंधित अन्य लागतों का आबंटन - उदाहरण के लिए अन्य अनुबंधों के साथ कुल अनुबंध की पूर्ति में प्रयुक्त सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की मद के मूल्यह्रास प्रभार का आबंटन।";

(ii) अनुच्छेद 69 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"69 दूभर अनुबंध के लिए अलग उपबंध करने से पूर्व, एक प्रतिष्ठान उस अनुबंध की पूर्ति के लिए प्रयुक्त आस्तियों पर किसी क्षतिग्रस्तता हानि का पता लगाता है। (देखें भारतीय लेखा मानक 36)।";

(iii) अनुच्छेद 94 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"94क *दूभर अनुबंध –अनुबंध की पूर्ति की लागतें* द्वारा अनुच्छेद 68क जोड़ा गया व अनुच्छेद 69 संशोधित किया गया है। कोई प्रतिष्ठान इन संशोधनों को उन अनुबंधों पर लागू करेगा जिन के लिए उसने उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में अपनी सभी बाध्यताएं अभी तक पूरी नहीं की हैं और उस अवधि में वह इन संशोधनों को पहली बार लागू कर रहा है (प्रारंभिक प्रयोग की तिथि) । वह प्रतिष्ठान तुलनात्मक जानकारी का पुनर्कथन नहीं करेगा। बल्कि, प्रतिष्ठान संशोधन के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि पर, उन संशोधनों को पहली बार लागू करने में संचयी प्रभाव को प्रतिधारित आय के प्रारंभिक शेष में या साम्या के अन्य घटक में, जो भी उपयुक्त हो, समायोजन के रूप में मान्यता देगा।";

(iv) अनुच्छेद 104 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"105 *दूभर अनुबंध-अनुबंध की पूर्ति की लागत* द्वारा अनुच्छेद 68क व 94क से जोड़े गए हैं एवं अनुच्छेद 69 संशोधित किया गया है। कोई प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2022 से या इसके बाद प्रारंभ होने वाले उन रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।"

(च) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 41" में:-

(i) अनुच्छेद 22 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"22 कोई प्रतिष्ठान फसल की कटाई के बाद, आस्तियों के वित्त-पोषण, या जैविक आस्तियों की पुर्नस्थापना के लिए किसी भी नकदी प्रवाह को सम्मिलित नहीं करेगा। (जैसे कि, फसल की कटाई के बाद वन में पादप के पुनर्रोपण की लागत)।";

(ii) अनुच्छेद 64 के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"65 *भारतीय लेखा मानकों में वार्षिक सुधार (2021)* द्वारा अनुच्छेद 22 संशोधित किया गया है। कोई प्रतिष्ठान उस संशोधन को 1 अप्रैल 2022 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ होने वाले प्रथम वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के उचित मूल्य मापन पर प्रयोग करेगा।"

[फा.सं.01/01/2009-सीएल.V(पार्ट.XI)]
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.111(अ) दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संख्या सा.का.नि.365(अ) दिनांक 30 मार्च, 2016, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.258(अ), दिनांक 17 मार्च, 2017, संख्या सा.का.नि. 310(अ) दिनांक 28 मार्च, 2018, संख्या सा.का.नि. 903(अ), दिनांक 20 सितंबर, 2018, संख्या सा.का.नि. 273(अ) दिनांक 30 मार्च, 2019, संख्या सा.का.नि. 274(अ), दिनांक 30 मार्च, 2019, संख्या सा.का.नि. 463(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2020 और संख्या सा.का.नि. 419(अ), दिनांक 18 जून, 2021 द्वारा इनमें संशोधन किए गए।

****

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2022

G.S.R 255(E).——In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of April, 2022.

2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)",-

(A) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 101", -

(i) after paragraph 39AF, the following shall be inserted, namely:-

"39AG *Annual Improvements to Ind AS (2021)*, amended paragraph D1(f) and added paragraph D13A. An entity shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after 1st April, 2022.";

(ii) in Appendix D, in paragraph D1, for sub-item (f), the following shall be substituted, namely:-

"(f) cumulative translation differences (paragraphs D12–D13A); ";

(iii) in Appendix D, after paragraph D13, the following shall be inserted, namely:-

"D13A Instead of applying paragraph D12 or paragraph D13, a subsidiary that uses the exemption in paragraph D16(a) may elect, in its financial statements, to measure cumulative translation differences for all foreign operations at the carrying amount that would be included in the parent's consolidated financial statements, based on the parent's date of transition to Ind ASs, if no adjustments were made for consolidation procedures and for the effects of the business combination in which the parent acquired the subsidiary. A similar election is available to an associate or joint venture that uses the exemption in paragraph D16(a)."

(B) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 103", -

(i) for paragraph 11, the following shall be substituted, namely:-

"11 To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework*) issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. For example, costs the acquirer expects but is not obliged to incur in the future to effect its plan to exit an activity of an acquiree or to terminate the employment of or relocate an acquiree's employees are not liabilities at the acquisition date. Therefore, the acquirer does not recognise those costs as part of applying the acquisition method. Instead, the acquirer recognises those costs in its post-combination financial statements in accordance with other Ind AS.";

(ii) for paragraph 14, the following shall be substituted, namely:-

"14 Paragraphs B31–B40 provide guidance on recognising intangible assets. Paragraphs 21A–28B specify the types of identifiable assets and liabilities that include items for which this Ind AS provides limited exceptions to the recognition principle and conditions.";

(iii) for paragraph 21, the following shall be substituted, namely:-

"21 This Ind AS provides limited exceptions to its recognition and measurement principles. Paragraphs 21A–31A specify both the particular items for which exceptions are provided and the nature of those exceptions. The acquirer shall account for those items by applying the requirements in paragraphs 21A–31A, which will result in some items being-

(a) recognised either by applying recognition conditions in addition to those in paragraphs 11 and 12 or by applying the requirements of other Ind ASs, with results that differ from applying the recognition principle and conditions.

(b) measured at an amount other than their acquisition-date fair values.

Exceptions to the recognition principle.-

Liabilities and contingent liabilities within the scope of Ind AS 37 or Appendix C, *Levies*, of Ind AS 37

21A Paragraph 21B applies to liabilities and contingent liabilities that would be within the scope of Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, or Appendix C, *Levies*, of Ind AS 37 if they were incurred separately rather than assumed in a business combination.

21B The *Conceptual Framework* defines a liability as 'a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events'. For a provision or contingent liability that would be within the scope of Ind AS 37, the acquirer shall apply paragraphs 15–22 of Ind AS 37 to determine whether at the acquisition date a present obligation exists as a result of past events. For a levy that would be within the scope of Appendix C of Ind AS 37, the acquirer shall apply Appendix C of Ind AS 37 to determine whether the obligating event that gives rise to a liability to pay the levy has occurred by the acquisition date.

21C A present obligation identified in accordance with paragraph 21B might meet the definition of a contingent liability set out in paragraph 22(b). If so, paragraph 23 applies to that contingent liability.";

(iv) for the heading relating to paragraph 22, the following shall be substituted, namely:-

"Contingent liabilities and contingent assets";

(v) in paragraph 22, for the opening paragraph starting with Ind AS 37 and ending with liability as:, the following shall be substituted, namely:-

"22 Ind AS 37 defines a contingent liability as:";

(vi) for paragraph 23, the following shall be substituted, namely:-

"23 The acquirer shall recognise as of the acquisition date a contingent liability assumed in a business combination if it is a present obligation that arises from past events and its fair value can be measured reliably. Therefore, contrary to paragraphs 14(b), 23, 27, 29 and 30 of Ind AS 37, the acquirer recognises a contingent liability assumed in a business combination at the acquisition date even if it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Paragraph 56 of this Ind AS provides guidance on the subsequent accounting for contingent liabilities.";

(vii) after paragraph 23, the following shall be inserted, namely:-

"23A Ind AS 37 defines a contingent asset as 'a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control

of the entity'. The acquirer shall not recognise a contingent asset at the acquisition date.";

(viii) after paragraph 64P, the following shall be inserted, namely:-

"64Q *Reference to the Conceptual Framework*, amended paragraphs 11, 14, 21, 22 and 23 and added paragraphs 21A, 21B, 21C and 23A. An entity shall apply those amendments to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1st April, 2022.".

(C) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 109", -

(i) for paragraph 7.1.9, the following shall be substituted, namely:-

"7.1.9 *Annual Improvements to Ind AS (2021)*, added paragraphs 7.2.35 and B3.3.6A and amended paragraph B3.3.6. An entity shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after 1st April, 2022.";

(ii) for the figures, brackets and words, "7.2.35-7.2.42 [Refer Appendix 1]", the following shall be substituted, namely:-

"Transition for Annual Improvements to Ind AS (2021)

7.2.35 An entity shall apply *Annual Improvements to Ind AS (2021)* to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

7.2.36-7.2.42 [Refer Appendix 1]";

(iii) in Appendix B,

(a) for paragraph B3.3.6, the following shall be substituted, namely:-

"B3.3.6 For the purpose of paragraph 3.3.2, the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective interest rate, is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. In determining those fees paid net of fees received, a borrower includes only fees paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.";

(b) after paragraph B3.3.6, the following shall be inserted, namely:-

"B3.3.6A If an exchange of debt instruments or modification of terms is accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred are recognised as part of the gain or loss on the extinguishment. If the exchange or modification is not accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the liability and are amortised over the remaining term of the modified liability.".

(D) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 16", -

(i) in paragraph 17, for sub-item (e), the following shall be substituted, namely:-

"(e) costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment). Excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment; and";

(ii) in Appendix 1, after paragraph 7, the following shall be inserted, namely:-

"8. In May, 2020, IASB had issued amendments in IAS 16 on proceeds before intended use to prohibit an entity from deducting from the cost of an item of property, plant and equipment the proceeds from selling items produced while bringing an item of property, plant and equipment to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These amendments added paragraphs 20A, 74A, 80D and 81N and amended paragraphs 17(e) and 74 of IAS 16. The said amendments have not been made under Ind AS 16, however, paragraph 17(e) has been amended to clarify that excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment.".

(E) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 37", -

(i) after paragraph 68, the following shall be inserted, namely:-

"68A The cost of fulfilling a contract comprises the costs that relate directly to the contract. Costs that relate directly to a contract consist of both-

(a) the incremental costs of fulfilling that contract—for example, direct labour and materials; and

(b) an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts— for example, an allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling that contract among others.";

(ii) for paragraph 69, the following shall be substituted, namely:-

"69 Before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognises any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract (see Ind AS 36).";

(iii) after paragraph 94, the following shall be inserted, namely:-

"94A *Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract*, added paragraph 68A and amended paragraph 69. An entity shall apply those amendments to contracts for which it has not yet fulfilled all its obligations at the beginning of the annual reporting period in which it first applies the amendments (the date of initial application). The entity shall not restate comparative information. Instead, the entity shall recognise the cumulative effect of initially applying the amendments

as an adjustment to the opening balance of retained earnings or other component of equity, as appropriate, at the date of initial application.";

(iv) after paragraph 104, the following shall be inserted, namely:-

"105 *Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract*, added paragraphs 68A and 94A and amended paragraph 69. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1st April, 2022."

(F) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 41", -

(i) for paragraph 22, the following shall be substituted, namely:-

"22 An entity does not include any cash flows for financing the assets or re-establishing biological assets after harvest (for example, the cost of replanting trees in a plantation forest after harvest).";

(ii) after paragraph 64, the following shall be inserted, namely:-

"65 *Annual Improvements to Ind AS (2021)*, amended paragraph 22. An entity shall apply that amendment to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1st April, 2022."

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part. XI)]
K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and were subsequently amended *vide* notifications number G.S.R. 365 (E), dated the 30th March, 2016, number G.S.R. 258(E), dated the 17th March, 2017, number G.S.R. 310(E), dated the 28th March, 2018, number G.S.R. 903(E), dated the 20th September, 2018, number G.S.R. 273(E), dated the 30th March, 2019, number G.S.R. 274 (E), dated the 30th March, 2019, number G.S.R. 463 (E), dated the 24th July, 2020 and number G.S.R. 419(E), dated the 18th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.04 16:33:01 +05'30'